सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 30, शुक्रवार, शाके 1943-अक्टूबर 22, 2021 *Asvina 30, Friday , Saka 1943- October 22, 2021*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अधिसूचना

अजमेर, अक्टूबर 21, 2021

संख्या अ.वि.प्रा/प3/नियोजन/2021-22/592 :-अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा (24) के अनुसरण में, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 23 (योजना तैयार करने और उसे मंजूर किये जाने के सम्बंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया) की उप धारा (3) में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुये जोनल डवलपमेंट प्लान जोन-9 (खानपुरा जोन) अजमेर रीजन तैयार कर, प्राधिकरण द्वारा आयोजित परिभ्रमण बैठक दिनांक 11.10.2021 के द्वारा अनुमोदित किया गया, जो धारा 24 (योजना प्रवर्तन की तारीख) की अनुपालना में गजट नोटिफिकेशन की दिनांक से प्रभावी होगा।

इस जोनल डवलपमेंट प्लान, जोन-9 (खानपुरा जोन) की प्रतिलिपियां का निरीक्षण अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की आयोजना शाखा में सभी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है, इसी के साथ-साथ विस्तृत विवरण हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/ada पर भी अवलोकन किया जा सकता है और प्रतियां अजमेर विकास प्राधिकरण के कार्यालय से खरीदी जा सकती है।

किशोर कुमार,
सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।

2496

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।